

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेशर ँटा।

J.O.Code. 1995

परिवाद सं0-5340 / 2022

राजेन्द्र— बनाम—सनी

07.06.2022

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा परिवाद सनी आदि के विरुद्ध योजित किया गया था। पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 के साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है। परिवादी अनुपस्थित है और ना ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा परिवादी को पूर्व नियत तिथियों पर अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी परिवाद की कार्यवाही को अग्रसारित करने का इच्छुक नहीं है। परिवादपत्र एवं साक्ष्य के आधार पर तलब किये जाने का आधार दर्शित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जावे।

**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेशर, ँटा।**